

क्रमांक 4214/14/2020
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन,
तुलसी नगर, भोपाल 462 003
दूरभाष नं. 2552646, 2552878, फ़ैक्स नं. 2552406,
Email ID - encwrbpl-mp@nic.in

भोपाल, दिनांक 4/03/2020

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग
_____ (म.प्र.)

विषय :- जल उपभोक्ता संस्थाओं के लिये पीआईएम अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आवंटन के विरुद्ध किये गये व्यय के संबंध में।

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रथम किश्त के रूप में 80 रु. प्रति हेक्टेयर तथा द्वितीय किश्त के रूप में 20 रु. प्रति हेक्टेयर के मान से राशि उपलब्ध कराई गई है। व्यय की समीक्षा करने पर पाया गया है कि प्रदत्त आवंटन से लगभग 70 प्रतिशत राशि ही व्यय की गई है जबकि वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है। उक्त मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन को शत-प्रतिशत व्यय करते हुये उपयोगिता प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर किसी भी आहरण सवितरण अधिकारी के खाते में राशि शेष प्रदर्शित होती है तो उन आहरण सवितरण अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(एम.एस.डाबर) 4-3-20

प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4/03/2020

पृ. क्र. 4214/14/2020

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, जल संसाधन विभाग, म.प्र. शासन भोपाल
2. समस्त अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल,
3. समस्त कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग
सूचनार्थ प्रेषित।
4. वेब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर
विभागीय वेबसाइट पर प्रसारित करने हेतु अग्रेषित।

(एम.एस.डाबर) 4-3-20

प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग, भोपाल